(15)

सेवा में,

मा0 योगी आदित्यनाथ जी

मुख्यमन्त्री, उत्तर प्रदेश

विषयः— प्रार्थी द्वारा लिखित पुस्तक अफसरशाही (एक अनसुना सच) में उल्लिखित तथ्यो के आधार पर दोषियों को सजा एवं निर्दोषो को न्याय प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन यह है कि इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मेरे द्वारा लिखित पुस्तक **अफसरशाही (एक अनसुना सच)** का आप स्वयं अवलोकन एवं अध्ययन करने का कष्ट करे, यह पुस्तक मेरे साथ घटित घटनाक्रम (आप—बीती) के सम्बन्ध में है। मेरे द्वारा इस पुस्तक में लिखे गये तथ्यो के सबूत/साक्ष्य मैंने QR CODE के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिये है, इन्हे SCAN करके देखा जा सकता है तथा इन्हे DOWNLOAD करके इनका प्रिंट आउट भी निकलवाया जा सकता है। हमारे देश में प्रजातंत्र, संविधान एवं कानून का शासन होते हुए भी इस पुस्तक में वर्णित अधिकारियो द्वारा किये गये अपराधो पर कार्यवाही नही की जा रही है तथा इस पुस्तक में वर्णित निर्दोषो को न्याय नही मिल पा रहा है।

आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस पुस्तक को स्वयं पढकर इस सम्पूर्ण प्रकरण में दोषियो को सजा एवं निर्दोषो को न्याय प्रदान कराने तथा मुझे व मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान कराने तथा इन अधिकारियो एवं माफियाओ द्वारा मुझे झूठे मुकदमो में फंसाये जाने से रोकने की व्यवस्था कराने की कृपा करे।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांकः 13.12.2025

संलग्नक—एक पुस्तकः— **अफसरशाही (एक अनसुना सच)**

प्रार्थी

जयभगवान पुत्र श्री चन्द्रभान

नि0 ग्राम बुवाड़ा खुर्द, डाकखाना खतौली

जिला मुजफ्फरनगर

मो0 न0— 8630682756

भारतीय डाक
India Post

Muzaffarnagar HO 251001
EU727940479IN, IVR No1: 6985727940479
13-12-2025 11:59:03, Counter No. 2,
To: YOGI ADITYANATH CM UP
LUCKNOW , LUCKNOW, 226001
From: JAI BAGHWAN
BUWADA KHURD , MUZAFFAR, 251001
Base Amt: 75.00
To: YOGI ADITYANATH CM UP
P.Mode: Cash
POD:No. www.indiapost.gov.in

Department of Posts
Government of India
Ministry of Communications

Generated through Indiapost website on: 22/12/2025, 6:45:29 pm

Consignment/MO Tracking Report

Consignment/MO Number: EU727940479IN

Article Number: EU727940479IN

Article Type: SP_INLAND_DOC

Booked At: Muzaffarnagar HO

Booked On: 13/12/2025, 12:00:27

Destination: Lucknow GPO

Origin Pincode: 251001

Delivered On: 17/12/2025, 16:06:02

Destination Pincode: 226001

Event	Date	Time	Office
Item Booked	13/12/2025	12:00:27	Muzaffarnagar HO
Item Bagged	13/12/2025	18:25:21	Muzaffarnagar HO
Item Dispatched	13/12/2025	18:51:57	Muzaffarnagar HO
Item Dispatched	13/12/2025	19:20:42	Muzaffarnagar TMO
Item Received	13/12/2025	19:25:17	Muzaffarnagar ICH
Item Bagged	13/12/2025	20:54:45	Muzaffarnagar ICH
Item Dispatched	13/12/2025	21:36:26	Muzaffarnagar ICH
Item Dispatched	13/12/2025	21:52:02	Muzaffarnagar TMO
Item Dispatched	14/12/2025	04:18:16	Ghaziabad Ma RMS TMO
Item Dispatched	15/12/2025	01:35:51	MA Lucknow RMS
Item Received	16/12/2025	11:53:05	Lucknow NSH
Item Bagged	16/12/2025	14:13:19	Lucknow NSH
Item Dispatched	16/12/2025	16:39:03	Lucknow NSH
Item Received	17/12/2025	08:15:56	Lucknow GPO
Item Invoiced to Bulk Addressee	17/12/2025	10:39:50	Lucknow GPO
Item Delivered	17/12/2025	16:06:02	Lucknow GPO

सेवा में,

मा0 योगी आदित्यनाथ जी

मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

विषय:- आई0ए0एस0 अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा व डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी एवं पी0सी0एस0 अधिकारी श्री रामकिशन शर्मा श्री उमेश मिश्र व श्री राकेश कुमार द्वारा की गई लूट, गबन, भ्रष्टाचार, माफियाओं के साथ गठजोड़ कर सरकारी सम्पत्ति को हड़पने, माफियाओं को संरक्षण देने, धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके फर्जी रिपोर्ट बनाने/बनवाने आदि अनेक आपराधिक कृत्यों के लिखित सबूत/ प्रमाण आपको उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही ? के संबंध में।

महोदय,

सादर निवेदन यह है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र, जिसके साथ एक पुस्तक "अफसरशाही एक अनसुना सच" संलग्न करके दिनांक 13-12-2025 में रजिस्टर्ड डाक द्वारा आपको प्रेषित की गई थी, जो दिनांक 17-12-2025 में आपको प्राप्त हो चुकी हैं। इस पुस्तक में इन अधिकारियों के द्वारा अरबो रुपए की किसानों की गन्ने की फसल की लूट, माफियाओं से उनके गठजोड़, अधिकारी- माफिया गठजोड़ के द्वारा अरबो रुपए की सरकारी भूमि को हड़पने के उनके प्रयास और उनके इस प्रयास में मेरे द्वारा बाधा उत्पन्न किये जाने के कारण एक फर्जी महाभूमिघोटाला दर्शाकर समाज, शासन, व सरकार को गुमराह करने, मुझ सहित अनेक किसानों को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्टें बनाने / बनवाने तथा उनका प्रयोग करने, मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, व मेरे साले की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके उन्हें अधिकारियों एवं माफियाओं से लुटवाये जाने, माफियाओं को सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करके उनसे लूट कराने व उस लूट में हिस्सा प्राप्त करने, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मुझ सहित अनेक लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत बनाने /बनवाने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने आदि के सभी लिखित प्रमाण/सबूत आपको उपलब्ध करा दिए थे। यह सभी लिखित सबूत/प्रमाण आपको भेजी गई पुस्तक "अफसरशाही एक अनसुना सच" में मौजूद हैं। इस पुस्तक में दिए गये QR CODES को SCAN करके आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तथा इन्हें DOWNLOAD करके इनका प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं।

इन अधिकारियों द्वारा किए गए उपरोक्त लिखित अपराधों के सभी सबूत/ प्रमाण आपको प्राप्त होने के बावजूद अभी तक आपके द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। श्री कौशलराज शर्मा इस समय दिल्ली जल बोर्ड के सी0ई0ओ0 हैं तथा डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी इस समय उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। श्री राकेश कुमार इस समय उत्तर प्रदेश में उप जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा श्री रामकिशन शर्मा एवं श्री उमेश मिश्र सेवानिवृत हो चुके हैं। मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एवं आपके द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इन अधिकारियों द्वारा तो भ्रष्टाचार के साथ - साथ अरबो रुपए की किसानों की गन्ने की फसल की लूट, माफियाओं से गठजोड़, अधिकारी- माफिया गठजोड़ के द्वारा अरबो रुपए की सरकारी भूमि को हड़पने के उनके प्रयास और उनके इस प्रयास में मेरे द्वारा बाधा उत्पन्न किये जाने के कारण एक फर्जी महाभूमिघोटाला दर्शाकर समाज, शासन, व सरकार को गुमराह करने, मुझ सहित अनेक किसानों को फंसाने के लिए षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्टें बनाने / बनवाने तथा उनका प्रयोग करने, मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, व मेरे साले की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके उन्हें अधिकारियों एवं माफियाओं से लुटवाये जाने, माफियाओं को सहयोग एवं

संरक्षण प्रदान करके उनसे लूट कराने व उस लूट में हिस्सा प्राप्त करने, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मुझ सहित अनेक लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत बनाने /बनवाने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने सहित अनेक आपराधिक कार्य किये गए हैं और इन सभी के लिखित सबूत /प्रमाण मौजूद हैं जो आपको प्राप्त कराये जा चुके हैं फिर इनके विरुद्ध कार्यवाही करने में देरी क्यों की जा रही है ? यह कैसी विडंबना पूर्ण बात है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध प्रमाण है तो कार्यवाही निश्चित रूप से होगी दूसरी तरफ इन अधिकारियों के विरुद्ध इतने लिखित सबूत / प्रमाण है और वह आपको उपलब्ध कराये जा चुके हैं उसके बावजूद यह अधिकारीगण अपने पदों पर सुशोभित है और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाहियां नहीं की जा रही है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इन अधिकारियों के द्वारा किए गए उपरोक्त अपराधो जिनके सभी लिखित सबूत/प्रमाण आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं, इनके द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के संबंध में अपराधवार पृथक- पृथक आवश्यक कार्यवाही, प्रथम सूचना रिपोर्टें आदि अंकित कराते हुए तत्काल कठोरतम कार्यवाही करने/कराने का कष्ट करें, तथा इस प्रकरण के सभी निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने का कष्ट करें, और की /कराई गई कार्यवाही से प्रार्थी को भी सूचित कराने का कष्ट करें।आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :–29.12.2025

प्रार्थी

संलग्नक:- प्रार्थना पत्र दिनांक 13-12- 2025

एवं उसकी प्राप्ति का स्टेटस

जय भगवान पुत्र श्री चन्द्रभान

निवासी ग्राम- बुवाड़ा खुर्द, डाकखाना-

खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर, पिन - 251 201

मोबाइल नंबर 863068 2756

Khatauli Bazar SO, 251201
EU800591786IN, IVR No1: 69656...
29-12-2025 14:31:09, Counter No...
To: MR. C M UP GOV
UP GOV , LUCKNOW, 226001
From: JAI BHAGWAN
BHUWADA KHURD, MUZAFFAR, 251201
Base Amt: 47.00
To: MR. C M UP GOV
P.Mode: Cash
POD:No, www.indiapost.gov.in

(18)

प्रारूप 2

सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6 (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी कार्यालय, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

1-आवेदक का नाम- जय भगवान

2- पिता का नाम- श्री चन्द्रभान

3- पता- ग्राम- बुवाड़ा खुर्द, डाकखाना- खतौली, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 251201

4- ई- मेल पता, यदि कोई हो-

5- दूरभाष संख्या / मोबाइल संख्या- 8630682756

6- मांगी गई सूचना का ब्यौरा:- प्रार्थी द्वारा दिनांक 13- 12- 2025 में अफसरशाही (एक अनसुना सच) नामक पुस्तक एक प्रार्थना पत्र के साथ आपको डाक द्वारा प्रेषित की थी। इस पुस्तक में आई0ए0एस0 अधिकारी श्री कौशलराज शर्मा, व पी0सी0एस0 अधिकारी डॉ0 इंद्रमणि त्रिपाठी (जो बाद में प्रोन्नत होकर आई0ए0एस0 हो गए) श्री रामकिशन शर्मा, श्री उमेश मिश्र व श्री राकेश कुमार द्वारा की गई लूट, गबन, भ्रष्टाचार, माफियाओ के साथ गठजोड़ कर सरकारी संपत्ति को हड़पने, माफियाओ को संरक्षण देने, धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके फर्जी रिपोर्टें बनाने/ बनवाने, किसानों की अरबो रुपए की गन्ने की फसल को लूटने, मुझ सहित सैकड़ो किसानों पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके फर्जी मुकदमे दर्ज कराने तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत बनाने/ बनवाने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने सहित अनेक आपराधिक कृत्यों के लिखित सबूत/ प्रमाण आपको उपलब्ध कराए गए थे, यह सभी लिखित सबूत/ प्रमाण आपको भेजी गई पुस्तक अफ़सरशाही (एक अनसुना सच) में मौजूद हैं। प्रार्थी द्वारा आपको यह जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई थी कि इस पुस्तक में दिए गए QR CODES को SCAN करके आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तथा इन्हें DOWNLOAD करके इनका प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं। पुस्तक के साथ भेजे गए प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इस पुस्तक में उपलब्ध कराए गए लिखित प्रमाणों /सबूतों के आधार पर आपसे दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई थी तथा निर्दोषों को न्याय दिलाने की मांग की गई थी। इसके पश्चात इसी सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29-12- 2025 में भी डाक द्वारा आपको भेजा गया था उसमें भी दोषियों पर उनके द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के सम्बन्ध में अपराधवार पृथक- पृथक आवश्यक कार्यवाही, प्रथम सूचना रिपोर्टें आदि अंकित कराते हुए तत्काल कठोरतम कार्यवाही करने/ कराने का अनुरोध किया गया तथा इस प्रकरण में सभी निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने की मांग की गई थी और की/कराई हुई कार्यवाही से प्रार्थी को सूचित कराने का अनुरोध भी किया गया था, किंतु आपके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना प्रार्थी को प्रदान नहीं की गई, जिस कारण प्रार्थी को प्रार्थी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 13- 12- 2025 व उसके साथ भेजी गई पुस्तक अफ़सरशाही (एक अनसुना सच) तथा प्रार्थी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 29- 12- 2025 के सम्बन्ध में निम्न सूचनाओं की आवश्यकता है:-

(1)- पुस्तक अफसरशाही (एक अनसुना सच) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्यरत रहते हुए पुस्तक में उल्लिखित किए गए अनेक तरह के अपराधों जिनके लिखित सबूत/प्रमाण आपको

क्रमशः-2

उपलब्ध करा दिए गए हैं, के सम्बन्ध में इन अधिकारियों के विरुद्ध आपके द्वारा की/ कराई गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(2)- पुस्तक अफ़सरशाही (एक अनसुना सच) में उल्लिखित अनेक निर्दोषों, जिनको अधिकारियों द्वारा फर्जी रूप से फंसाया गया है और इन सबके लिखित सबूत /प्रमाण आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं, इन निर्दोषों को न्याय दिलाने हेतु आपके द्वारा की/कराई गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(3)- अधिकारियों द्वारा की गई लूट, भ्रष्टाचार, गबन, माफियाओ के साथ मिलकर सरकारी संपत्ति को हड़पने, माफियाओं को संरक्षण देने, धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्टें बनाने, निर्दोषों को फर्जी रूप से फंसाने, किसानों की अरबो रुपए की गन्ने की फसल को लूटने, मुझ सहित सैकड़ो किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने तथा मुकदमे दर्ज कराने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूतो का निर्माण करने/कराने तथा फर्जी विवेचनाएं कराने आदि के सभी लिखित सबूत/ प्रमाण शासन (सरकार) को प्राप्त/ उपलब्ध हो जाने के पश्चात, शासन (सरकार) द्वारा दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, आपके द्वारा इस प्रकरण में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(4)-शासन (सरकार) के संज्ञान में यह आने कि निर्दोषों को अधिकारियों द्वारा फर्जी रूप से फंसाया गया है और उसके सभी लिखित सबूत/प्रमाण शासन (सरकार) को प्राप्त हो जाए तो इस सम्बन्ध में शासन (सरकार) द्वारा निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस प्रकरण में आपके द्वारा निर्दोषों को न्याय प्रदान कराने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

7- क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है? हां/नहीं--- नहीं।

8- जमा की गई फीस का ब्यौरा:- निर्धारित शुल्क संलग्न पोस्टल आर्डर संख्या-71F 362748 के द्वारा अदा किया जा रहा है।

9- क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे (बी.पी.एल) की श्रेणी का है? हां /नहीं (यदि हां तो बी.पी.एल.) प्रमाण पत्र संलग्न करें--- नहीं

10 संलग्नको की सूची:-

1-पोस्टल आर्डरसंख्या-71F 362748

2- प्रार्थी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 13- 12- 2025 की छायाप्रति।

3- प्रार्थी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 29- 12- 2025 की छाया प्रति।

स्थान-ख़तौली, मुजफ्फरनगर

दिनांक- 24-01-2026

(अनुभगवान)
आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पावती

श्री ------------------ निवासी------------- दिनांक------------को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1)के अधीन सूचना की मांग हेतु आवेदन पत्र जो क्रमांक--------- पर पंजीकृत, प्राप्त किया। दिनांक---------- राज्य लोक सूचना अधिकारी का हस्ताक्षर और पूरा पता

प्राधिकारिक मुद्रा

दश টাকা ... दहा रुपये ... दश रुपयकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

जारी करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित
ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO श्रीमान जनसूचना अधिकारी मा0 मुख्यमन्त्री कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT लखनऊ के डाकघर में अदा करें।

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

जय भगवान पुत्र श्री चन्द्रभान
निवासी ग्राम-कवाड़ा खुर्द डाकखाना ...
जिला-मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश
पिन-251201

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

.../1/26

पोस्टमास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

71F 362748

MPCM MUZAFFARNAGAR HMC (251001) Counter No.1
SP-D EU712330365IN IVR:6985712330365
24-01-2026 10:08:32,32gms(Phy.),
To: CM OFFICE, LUCKNOW
IDC LUCKNOW , UTTAR PRADE - 226001
From:JAI BHAGWAN-251201
(Base:47.00)

Track on www.indiapost.gov.in Dial 18002666868

भारतीय डाक
डाक सेवा-जन सेवा
India Post
Dak Seva-Jan Seva

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-2
संख्या 50 सू.अ./सी0एम0-2/2026
लखनऊः दिनाक02-02-2026

श्री जय भगवान,
ग्राम बुवाडा खुर्द डाकखाना खतौली,
जनपद मुजफ्फरनगर,
उत्तर प्रदेश 251201
मो0नं0 8630682756

जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पत्र दिनांक 24-01-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र जनसूचना अधिकार सेल, मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-2 में दिनांक 30-01-2026 को प्राप्त हुआ है।

2- अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 24-01-2026 के माध्यम से संलग्न प्रेषित पत्र दिनांक 29-12-2025 पर कार्यवाही की सूचना मांगी गयी है । । उक्त पत्र दिनांक 29-12-2025 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग 02 में दर्ज पाया गया है । उक्त पत्र दिनांक 29-12-2025 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग 02 में संदर्भ संख्या 12133260014720 पर दर्ज कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया है। अतः प्रकरण के संबंध में अन्य जानकारी हेतु कृपया संबंधित लोक प्राधिकारी से पत्राचार करने का कष्ट करें।

"उ0प्र0 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in अधिनियम विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।"

(अखिलेश कुमार अवस्थी)
अनुभाग अधिकारी/जनसूचना अधिकारी

संख्या-50 सू.अ.(1)सी0एम0-2/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख सचिव नियुक्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन को आवेदक श्री जयभगवान जनपद मुजफ्फरनगर के सूचना का अधिकार से संबंधित पत्र दिनांक 24-01-2026 मूलरूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख सचिव नियुक्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि आवेदक के पत्र दिनांक 24-01-2026 के साथ प्राप्त रू0 10/- (रूपये दस मात्र के भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 71 एफ 362748 (मूल रूप में संलग्न) को सुसंगत मद में जमा करने का कष्ट करें।

(अखिलेश कुमार अवस्थी)
अनुभाग अधिकारी/जनसूचना अधिकारी

Digitally signed by
AKHILESH KUMAR AWASTHI
Date: 02-02-2026 15:55:36

/ (6)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपील

सेवा में,
श्रीमान अपीलीय अधिकारी
मा० मुख्यमन्त्री कार्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यरत
अधिकारी का पदनाम और पता)

क : अपीलार्थी से सम्पर्क हेतु आवश्यक विवरण :

1–अपीलार्थी का नाम	जयभगवान
2–डाक का पता, सेल–फोन नम्बर और ई–मेल पता (यदि कोई हो)	जयभगवान पुत्र श्री चन्द्रभान, ग्राम-बुवाड़ा खुर्द, डा०-खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पिन- 251201, मो०नं०- 8630682756

ख : अपील का विवरण :

1–उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है	नाम (यदि उपलब्ध हो)	—
	पदनाम	जनसूचना अधिकारी
	पता	मा० मुख्यमन्त्री कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ
2–राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने का दिनांक (राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत अनुरोध की एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए)	24-01-2026 संलग्न है।	
3–अपील के आधार (यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की जाए तो ऐसे आदेश की एक प्रति अवश्य फाइल की जाए)	अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाये अपीलार्थी को उपलब्ध न कराना। संलग्न है। (यदि उपर्युक्त स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक पृष्ठ लगायें)	
4–प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष	अपीलार्थी द्वारा जिन 5 बिन्दुओं पर सूचनायें चाही है, वह सूचनायें अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाये।	
5–यदि अपील विहित अवधि के पश्चात् फाइल की जा रही हो तो विलम्ब का कारण	अपील निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत दाखिल की जा रही है।	
6–उन दस्तावेजों की सूची जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और जिन पर वह निर्भर हो।	(1) आवेदनपत्र दिनांक 04.01.2026 (2) प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2025 (3) प्रार्थनापत्र दिनांक 29.12.2025, (4) मुख्यमन्त्री कार्यालय का पत्र दिनांक 02.02.2026	

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
[signature] (जयभगवान)
14-03-2026

Khatauli SO 251201
EU334194618IN, IVR No: 6985334194618
14-03-2026 17:51:35, Counter No. 3,
To: CHIEF MINISTER UTTAR PRADESH
OFFICE CHIEF MINIST, LUCKNOW, 226001
From: JAI BHAGWAN
BUWADA KHURD , MUZAFFAR, 251201
Base Amt: 47.00
To: CHIEF MINISTER UTTAR PRADESH
P.Mode: QR
POD:No, www.indiapost.gov.in

भारतीय डाक India Post

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-2
संख्या-136 सू.अ./सी0एम0-2/2026
लखनऊ: दिनांक25-03-2026

श्री जय भगवान
ग्राम बुवाडा खुर्द डाकखाना खतौली
जनपद मुजफफरनगर 251201
मो0नं0 8630682756

जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त पत्र दिनांक 24-01-2026 के क्रम में अपने पत्र दिनांक 14-03-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-02 में दिनांक 19-03-2026 को प्राप्त हुआ है।

2- इस संबंध में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि उक्त पत्र दिनांक 24-01-2026 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग 02 में दर्ज पाया गया है । आपका जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना विषयक पत्र दिनांक 24-01-2026 के क्रम में जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र संख्या- 50 सू0अ0/सी.एम.-2/2026 , दिनांक 02-02-2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना इस कार्यालय में धारित नही है । अतएव तदनुसार प्रस्तुत अपील एतदद्वारा निस्तारित की जाती है।

(भास्कर चन्द्र काण्डपाल)
संयुक्त सचिव ।

Digitally signed by
BHASKAR CHANDRA KANDPAL
Date: 25-03-2026 18:29:47

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-2
संख्या 50 सू.अ./सी0एम0-2/2026
लखनऊः दिनाक02-02-2026

श्री जय भगवान,
ग्राम बुवाडा खुर्द डाकखाना खतौली,
जनपद मुजफ्फरनगर,
उत्तर प्रदेश 251201
मो0नं0 8630682756

जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पत्र दिनांक 24-01-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र जनसूचना अधिकार सेल, मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-2 में दिनांक 30-01-2026 को प्राप्त हुआ है।

2- अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 24-01-2026 के माध्यम से संलग्न प्रेषित पत्र दिनांक 29-12-2025 पर कार्यवाही की सूचना मांगी गयी है ।। उक्त पत्र दिनांक 29-12-2025 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग 02 में दर्ज पाया गया है । उक्त पत्र दिनांक 29-12-2025 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग 02 में संदर्भ संख्या 12133260014720 पर दर्ज कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया है। अतः प्रकरण के संबंध में अन्य जानकारी हेतु कृपया संबंधित लोक प्राधिकारी से पत्राचार करने का कष्ट करें।

"उ0प्र0 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in अधिनियम विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।"

(अखिलेश कुमार अवस्थी)
अनुभाग अधिकारी/जनसूचना अधिकारी

संख्या-50 सू.अ.(1)सी0एम0-2/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख सचिव नियुक्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन को आवेदक श्री जयभगवान जनपद मुजफ्फरनगर के सूचना का अधिकार से संबंधित पत्र दिनांक 24-01-2026 मूलरूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख सचिव नियुक्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि आवेदक के पत्र दिनांक 24-01-2026 के साथ प्राप्त रू0 10/- (रूपये दस मात्र के भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 71 एफ 362748 (मूल रूप में संलग्न) को सुसंगत मद में जमा करने का कष्ट करें।

(अखिलेश कुमार अवस्थी)
अनुभाग अधिकारी/जनसूचना अधिकारी

Digitally signed by
AKHILESH KUMAR AWASTHI
Date: 02-02-2026 15:55:36